हेतु निश्चित खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं जो भारत सरकार द्वारा 25/- रु. प्रति क्विंटल के मार्जिन की अनुमति देकर निर्धारित किए गए हैं । यह मार्जिन वह राशि नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाती है । वास्तव में यह वह राशि है जिसका राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को फायदा पहुंचाया जाता है । यदि कुछ राज्यों में मार्जिन की राशि 25/- रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है तो उस दशा में मार्जिन में वृद्धि के लिए अनुरोध करने और इन क्षेत्रों के आदिवासियों और उपभोक्ताओं को इस बढ़ाई गई राशि का लाभ पहुंचाने की बजाए राज्य की आदिवासी जनता के कल्याण के प्रति स्वयं अपनी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा शेष राशि को वहन करना चाहिए ।

राज्यों को चीनी के कोटे का आबंटन

3611. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को चीनी का कितना-कितना कोटा दिया जा रहा है, इस आबंटन के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या राज्यों को प्रति माह चीनी के किए जा रहे आबंटन के कोटे में वृद्धि किए जाने की संभावना है और क्या इसके आधार में परिवर्तन किया जाएगा, यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या राज्यों को चीनी का आबंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यदि हां, तो 1990 वर्ष के लिए, अनुमानित जनसंख्या के आधार पर चीनी का आबंटन कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश के लिए चीनी के कोटे में वृद्धि की गयी है, यदि हां तो यह वृद्धि कब से की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-86 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है । ये मानदण्ड 1 फरवरी, 1987 से लागू हैं । वर्तमान मासिक लेवी कोटे का राज्यवार विवरण उपाबंध में दिया गया है ।

लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, के लिए इन मानदंडों में संशोधन करना संभव नहीं है ।

Statement

State-wise Monthly Levy Sugar Quota

(Figures in Tonnes)

Sl. No.	States/Union Territories	Monthly quota from February, 87 onwards
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	25281
2.	Andaman & Nicobar Islands	247
3.	Arunachal Pradesh	314
4.	Assam	9617
5.	Bihar	33459
6.	Chandigarh	372
7.	Dadra & Nagar Haveli	51
8.	Delhi	8721
9.	Goa, Daman & Diu	539
10.	Gujarat	16194
11.	Haryana	6386
12.	Himachal Pradesh	2019
13.	Jammu & Kashmir	2884

1	2	3
14.	Karnataka	17769
15.	Kerala	11953
16.	Lakshadweep	71
17.	Madhya Pradesh	25031
18.	Maharashtra	29938
19.	Manipur	694
20.	Meghalaya	662
21.	Mizoram	261
22.	Nagaland	426
23.	Orissa	12393
24.	Pondicherry	400
25.	Punjab	7945
26.	Rajasthan	16914
27.	Sikkim	165
28.	Tamil Nadu	22547
29.	Tripura	1001
30.	Uttar Pradesh	52926
31.	West Bengal	25888
	Total :	333068

चावल पर लेवी का लगाया जाना

3612. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में चावल के व्यापारियों पर लेवी लगाने के लिए राज्य सरकारों को आदेश जारी किए हैं; यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन आदेशों का पालन किया जा रहा है और जहां-तहां इनका पालन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार उक्त आदेशों का पालन कर रही है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार से चावल व्यापारियों पर लेवी लगाने के लिए कहा जाएगा, यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से लेवी आदेश लागू कर चावल पर लेवी लगा दी है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने लेवी आदेश जारी किए थे और इन आदेशों को विपणन मौसम 1989-90 के दौरान कार्यान्वित किया था । महाराष्ट्र ने लेवी आदेश जारी किए थे लेकिन इनके कार्यान्वयन को 28-10-89 से रोक दिया था । बिहार ने न तो लेवी आदेश जारी ही किए थे और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे ऐसा करने की स्थिति में क्यों नहीं थे ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्तूबर, 1989 को महाराष्ट्र चावल (चावल मिल मालिकों पर लेवी) आदेश, 1989 लागू किया था जिसके अधीन खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के दौरान चावल के मिल मालिकों पर सेला और कच्चे चावल के मामले में क्रमश: 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की लेवी लगाई गई थी। महत्वपूर्ण बुवाई मौसम में लम्बी अवधि तक सूखे की स्थिति बनी रहने के कारण धान की पैदावार में कथित गिरावट आने और बाद में कीटाणुओं से फसल को क्षति पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने उपर्युक्त आदेश के कार्यान्वयन पर 28-10-89 से रोक लगा दी थी ।